>

Title: Need to give benefits of Indira Awas Yojana to the people whose names are not included in the BPL list.

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): महोदया, मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय का ध्यान इंदिरा आवास योजना की तरफ दिलाना चाहती हूं, जो बीपीएल परिवारों के लिए बनायी गयी है। हम सब जानते हैं, संसद का हर शख्स जानता है कि बीपीएल सूची में भारी अनियमितता बरती गयी है, इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। इसी से संबंधित एक मुद्दा मैं उठाना चाहती हूं। अभी 25 दिन के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में लगभग 300 घर अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग प्रखण्डों में जले हैं। गर्मी का समय है, मिट्टी के बने हुए घर हैं, उनके ऊपर घास-फूस की छत है, जब वे मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते हैं और हवा से जब आग पकड़ती है तो उनके पास आग बुझाने के लिए एक बाल्टी पानी तक नहीं है। आज वहां 300 घर बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन उनके माल की क्षति हुई है। उनके पास जो कुछ था, वह सब-कुछ स्वाहा हो गया है। जब वे प्रशासन के पास जाते हैं तो उन्हें 500-1000 रूपये की सहूलियत मिल जाती है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि बीपीएल की सूची में आपका नाम नहीं है, इसलिए आपको इंदिरा आवास योजना में घर नहीं मिल सकता है।

मेरा आपके द्वारा सदन और सरकार से आग्रह है कि जिनके घर जल चुके हैं, मिट्टी के घर हैं, जले हुए घर अपनी कहानी बता रहे हैं, उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन विपत्ति के मारों के लिए क्या नियमों में थोड़ी सी ढिलाई नहीं बरती जा सकती है या थोड़ी सी हेराफ़ेरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह गरीबी उनकी अपनी दास्तान खुद सुना रही है। हम जानते हैं कि नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कभी-कभी नियमों की वजह से हमारे काम रुक जाते हैं। तो क्या शहरी विकास मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा कि बीपीएल आपदा प्रबंधन विभाग को ऐसा निर्देश जारी करे कि बाढ़ में, आग में भयानक क्षति हो जाने पर, बीपीएल सूची में नाम नहीं होने पर भी इंदिरा विकास की सुविधा उन बेघर हुए लोगों को प्रदान की जाए?